- 1 -

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निग - 2354 - I - 16

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण

श्री एस० के० श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 19/7/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 19.7.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. प्यारेलाल पुत्र श्री उद्देता अहिरवार
2. नरेश पुत्र नाथूराम उद्देता अहिरवार
निवासीगण– ग्राम कुंवरपुरा तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0

——आवेदकगण

बनाम

1. बीतराग वाणी ट्रस्ट टीकमगढ़, द्वारा वर्धमान पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन सोंरया निवासी– सेल सागर चौराहा, टीकमगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0
2. किशोरी पुत्र श्री उद्देता अहिरवार
3. भगवानदास पुत्र नाथूराम उद्देता अहिरवार
4. संतोष पुत्र नाथूराम उद्देता अहिरवार

अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 निवासीगण– ग्राम कुंवरपुरा तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0

———अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 14/06/2016 पारितं द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सागर सम्भाग

XXXiX(a)BR(H)-10

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

आदेश पृष्ठ.........................

प्रकरण कमांक 2357/एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-7-2016	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर सभाग, सागर के प्रकरण कमांक 692/अ-3/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 14-6-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि बीतराग वाणी ट्रस्ट टीकमगढ़ ने तहसीलदार टीकमगढ़ को उसके स्वामित्व की कुंवरपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 70/5 मिन रकबा 0.108 हैक्टर की तरमीम कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 30 अ-3/2013-14 पंजीबद्ध किया तथा जॉच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनॉक 10-1-14 पारित करके तरमीम करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 130/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 4 सितम्बर, 2014 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर सभाग, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 692/अ-3/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-6-2016 से	

अपील स्वीकार की गई एंव तहसीलदार का आदेश दिनांक 10-1-14 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 4-9-14 निरस्त किये गये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव केबिएट कर्ता के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अन्य अभिलेख के साथ अपर आयुक्त, सागर सभाग, सागर के प्रकरण कमांक 692/अ-3/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 14-6-2016 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 14-6-16 के पद 4 की पॅक्ति क. 4 से 16 तक निम्नानुसार ॲकन किया है :-

- राजस्व निरीक्षक ने पटवारी व्दारा तैयार किये तरमीम प्रस्ताव प्रतिवेदन को अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार को दिनॉक 9-1-2014 को संप्रेषित किया था। यह प्रतिवेदन पृष्ठ कमांक 10 पर है जबकि तहसीलदार ने दिनांक 8-1-2014 की आर्डरशीट में यह लेख किया है कि राजस्व निरीक्षक / हलका पटवारी से तरमीम प्रतिवेदन प्राप्त। कोई आपत्ति पेश नहीं और प्रकरण 10-1-2014 को आदेश के लिये लगाया। जब राजस्व निरीक्षक ने तरमीम प्रस्ताव दिनांक 9-1-2014 को तहसीलदार प्रस्तुत किया तो दिनांक 8-1-14 को तहसीलदार को कैसे मिल सकता है। *

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा की गई तरमीम की कार्यवाही जल्दवाजी एंव एकपक्षीय होने से दूषित पाई

XXXiX(a)BR(H)-10

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

आदेश पृष्ठ.........................

प्रकरण क्रमांक 2357/एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	गई है जिसके कारण विद्वान अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर ने सही पकड़ करते हुये आदेश दिनॉक 14-6-2016 में सही निष्कर्ष निकाल कर तहसीलदार के दोषपूर्ण कार्यवाही पर आधारित आदेश दिनांक 10-1-14 को तथा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ व्दारा वास्तविकता की अनदेखी कर पारित आदेश दिनांक 4-9-14 को निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर सभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 692/अ-3/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 14-6-2016 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है एंव प्रस्तुत निगरानी इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	